"मिलान की प्रति"

नगरपालिका निर्वाचन

हर वोट कीमती. हर निकाय महत्वपूर्ण

मैं मतदाता हूँ

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

अप्रैल-2019

Website-www.mplocalelection.gov.in
E-mail-commissionersec@gmail.com

नगरपालिका निर्वाचन

हर वोट कीमती. हर निकाय महत्वपूर्ण

मैं मतदाता हूँ

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011
अप्रैल-2019
Website-www.mplocalelection.gov.in
E-mail-commissionersec@gmail.com

विशेष

यह दस्तावेज मतदाताओं की सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि इस दस्तावेज में उल्लेखित जानकारियों के अतिरिक्त समस्त सुसंगत अधिनियमों, नियमों, प्रावधानों, राजपत्र एवं आयोग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें।

राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में

प्रश्न— **नगरीय निकायों के निर्वाचन किसके द्वारा कराये जाते हैं?**

उत्तर— नगरीय निकायों के निर्वाचन म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाते हैं.

प्रश्न— **राज्य निर्वाचन आयोग क्या है?**

उत्तर— यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया. इस आयोग का मुख्य कार्य नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में सम्पन्न कराना है. संविधान के अनुच्छेद 243 ट में इसका उल्लेख है.

प्रश्न— **आयोग का कार्यालय कहां स्थित है?**

उत्तर— निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755-2555527
ईमेल—commissionersec@gmail.com

प्रश्न— **राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना बताईये?**

उत्तर— संविधान के अनुच्छेद 243ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. इसके प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं. उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी काम करते हैं.

प्रश्न— **क्या आयोग की अपनी कोई वेबसाईट है?**

उत्तर— जी हाँ. आयोग की वेबसाईट का पता है www.mplocalelection.gov.in

मतदाता सूची

प्रश्न— नगरीय निकाय में कौन मतदाता हो सकता है?

उत्तर— कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह :—

(1) उस वर्ष जिसमें मतदाता सूची तैयार की जा रही है, के जनवरी माह के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का न हो.

(2) उस स्थानीय निकाय के किसी वार्ड का मामूली तौर से निवासी हो.

(3) विधान सभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उस स्थानीय निकाय के वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किये जाने के योग्य हो.

प्रश्न— मतदाताओं की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने और कौन-कौन से कदम उठाये हैं?

उत्तर— (i) मतदाताओं की सुविधा के लिये वार्डवार प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन संबंधी आवेदन-पत्र प्राप्त करते हैं.

(ii) मतदाताओं के लिये दावा-आपत्ति केन्द्रों की स्थापना एवं पर्याप्त प्रचार-प्रसार.

(iii) वेबसाईट पर मतदाता सूची सर्च सुविधा के साथ उपलब्ध कराई गई है.

(iv) प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान दिवस के पूर्व कराने की व्यवस्था की गई है.

(v) फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता.

प्रश्न— क्या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदान की जाती है?

उत्तर— जी हाँ. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के उपरान्त अर्थात् 2 बार फोटोयुक्त मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है?

प्रश्न— मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये किससे सम्पर्क किया जाए?

उत्तर— आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को आवेदन किया जा सकता है इन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.

प्रश्न— मतदाता सूची से संबंधित कौन-कौन से प्ररूप हैं तथा ये कहाँ उपलब्ध हैं?

उत्तर— (1) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के दावे आवेदन के लिये ''प्ररूप ER-1''

(2) मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति के लिए ''प्ररूप ER-2''

(3) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति के लिये "प्ररूप ER-3".

(4) रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्ररूप ER-4 मतदाता सूची से संबंधित आवेदन के प्ररूप आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर उपलब्ध हैं तथा इन्हें पर्याप्त संख्या में दावा आपत्ति केन्द्रों पर भी उपलब्ध कराया गया है.

प्रश्न— मतदाता सूची एजेन्ट कौन होता है?

उत्तर— आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को यह सुविधा प्रदान की है कि प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची एजेन्ट की नियुक्ति कर सकते हैं. मतदाता सूची एजेन्ट एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा. साथ ही एजेन्ट अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा.

प्रश्न— जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन है?

उत्तर— जिले का कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है. फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है.

प्रश्न— नगरीय निकाय की मतदाता सूची क्या फोटोयुक्त होगी?

उत्तर— जी हाँ.

प्रश्न— मतदाता सूची का कार्य किन अधिकारियों द्वारा संपादित किया जाता है?

उत्तर— मतदाता सूची का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा संपादित किया जाता है.

प्रश्न— रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होते हैं?

उत्तर— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्य निष्पादित करते हैं. उनकी सहायता के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, जो कि तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार होते हैं. नगर परिषदों में तहसीलदार स्वयं भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो सकते हैं.

प्रश्न— रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्य दायित्व कौन-कौन से होते हैं?

उत्तर—
(1) फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना
(2) मतदाताओं की सहायता के लिए दावा-आपत्ति केन्द्रों की स्थापना
(3) मतदाता जागरुकता अभियान का संचालन
(4) मतदाताओं से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना.
(5) प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन एवं इसे मतदाताओं के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराना.

प्रश्न— दावा आपत्ति केन्द्र क्या होते हैं? तथा इन केन्द्रों पर कौन उपलब्ध रहता है?

उत्तर— जैसे ही मतदाता सूची प्रारंभिक प्रकाशन के लिए तैयार होती है, उसे आमजन के लिए जिन स्थानों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाता है, उन स्थानों को दावा आपत्ति केन्द्र कहते हैं. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, नगरीय निकाय के कार्यालयों तथा यथासंभव प्रत्येक वार्ड में ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाते हैं. इन केन्द्रों का प्रभार जिन कर्मचारियों के पास होता है, उन्हें प्राधिकृत कर्मचारी कहते हैं.

प्रश्न— मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के क्या मायने हैं?

उत्तर— नगरीय निकायों की मतदाता सूची का मुख्य आधार अद्यतन रूप से प्रकाशित विधान सभा की मतदाता सूची होती है. विधान सभा की मतदाता सूची पर प्रत्येक मतदाता के समक्ष उनका वार्ड नंबर लिखा जाता है, तत्पश्चात् वार्ड वार मतदाता सूची बनाई जाती है, अर्थात् विधान सभा की मतदाता सूची को वार्डवार मतदाता सूची बनाए जाने की प्रक्रिया के बाद जो मतदाता सूची प्राप्त होती है, उस पर दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रकाशन किया जाता है, जिसे प्रारंभिक प्रकाशन कहते हैं.

प्रश्न— दावा आपत्ति कब तक स्वीकार किए जा सकते हैं?

उत्तर— आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को दावा या आपत्ति प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान कभी भी परन्तु अंतिम दिन 3.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

प्रश्न— मतदाता सूची में मुझे अपना नाम जुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर— आपको प्ररूप-ER-1 में आवेदन करना चाहिए तथा इसके साथ ही हाल ही का पासपोर्ट साईज फोटो भी उपलब्ध कराना चाहिए.

प्रश्न— प्ररूप-ER-1 के आवेदन-पत्र के साथ और कौन-कौनसे दस्तावेज दिए जाने होते हैं?

उत्तर— अपने आवेदन के साथ 1 जनवरी को (जिस वर्ष में मतदाता सूची तैयार की जा रही है) 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने एवं संबंधित नगर का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यत:) निवासी होने के प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए.

प्रश्न— मामूली तौर से निवासी (सामान्यत: निवासी) का क्या अर्थ है?

उत्तर— मामूली तौर पर निवास स्थान (सामान्यत: निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है, जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यत: रात्रि विश्राम के लिए करता है. यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो. वह भोजन बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है. रहने के ऐसे स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है.

प्रश्न— क्या मेरा नाम दो वार्डों/निकायों की मतदाता सूची में हो सकता है?

उत्तर— जी नहीं. आपको प्ररूप-ER-1 में स्पष्ट रूप से यह बतलाना आवश्यक है कि पूर्व में आपका नाम किस जगह मतदाता सूची में दर्ज था.

प्रश्न— यदि मुझे अपना नाम त्रुटि सुधार करना है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर— आपको प्ररूप-ER-2 में अपना आवेदन पत्र प्राधिकृत कर्मचारी को देना चाहिए.

प्रश्न— क्या सुधार हेतु प्रस्तुत आवेदन की कोई रसीद भी दी जावेगी?

उत्तर— जी हाँ. आपको रसीद दी जावेगी तथा उसमें सुनवाई के स्थान एवं दिनांक का उल्लेख रहेगा.

प्रश्न— मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए?

उत्तर— इसके लिए आपको प्ररूप-ER-3 में अपना आवेदन करना चाहिए.

प्रश्न— मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, त्रुटि सुधार अथवा आपत्ति के लिए कितना शुल्क निर्धारित है?

उत्तर— कोई शुल्क निर्धारित नहीं है. सभी कार्य नि:शुल्क किए जाते हैं.

प्रश्न— वर्ष 2019 की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कब होगा?

उत्तर— भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन पश्चात् मतदाता सूची पुनरीक्षण दिनांक 1-1-2019 हेतु आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार.

प्रश्न— यदि नागरिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो उसे क्या करना चाहिए?

उत्तर— आप इसकी अपील तत्काल अपीलीय अधिकारी को कर सकते हैं. यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी है तो इसकी अपील अपर कलेक्टर को होगी. यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार है तो इसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी को होगी.

प्रश्न— मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया है, ऐसी जानकारी कैसे मिलेगी?

उत्तर— दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या नगरीय निकाय के कार्यालय में किया जाएगा. यहाँ इसका अवलोकन किया जा सकता है. इसे आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, सर्च इंजिन के द्वारा भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

मतदान

प्रश्न— क्या आयोग इस बार मतदाता पर्ची उपलब्ध कराएगा?

उत्तर— जी हाँ. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपको फोटोयुक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध करायेगा. जिसमें मतदान दिवस का दिनांक, मतदान केन्द्र का नाम तथा मतदान का समय दिया होगा.

प्रश्न— फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का क्या उपयोग है?

उत्तर— फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का उपयोग मतदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है.

प्रश्न— इस बार स्थानीय निर्वाचन में विशेष क्या है?

उत्तर— इस बार का निर्वाचन मतपेटी के स्थान पर ई.व्ही.एम. के द्वारा किया जाएगा.

प्रश्न— ई. व्ही. एम. क्या है?

उत्तर— ई. व्ही. एम. का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दो भाग होते हैं. (i) कंट्रोल यूनिट (ii) बैलेट यूनिट. कंट्रोल यूनिट का नियंत्रण मतदान दल के पास होता है तथा बैलेट यूनिट, मतदान प्रकोष्ठ में होती है.

प्रश्न— नयी ई. व्ही. एम. में क्या खास है?

उत्तर— नयी ई. व्ही. एम. में एक ही कंट्रोल यूनिट से एक से अधिक पदों के लिए तथा आठ पदों तक का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है.

प्रश्न— डी. एम. एम. क्या है?

उत्तर— डी.एम.एम. का मतलब है डीटैचेबल मेमोरी माड्यूल. जब बैलेट यूनिट में बटन दबाकर मतदाता अपना मत देता है तो उसका मत मशीन में एवं डी.एम.एम. में दो जगह दर्ज किया जाता है.

प्रश्न— ''नोटा (NOTA)'' क्या है?

उत्तर— नोटा NOTA (None of the Above)से शाब्दिक तात्पर्य है ''इनमें से कोई नहीं''. यदि मतदान के दौरान किसी पद के लिए आप किसी भी अभ्यर्थी को अपना मत न देना चाहें तो आप ''नोटा'' के बटन पर अपना मत दर्ज करा सकते हैं.

प्रश्न— क्या इस बार ''नोटा'' का प्रावधान रहेगा?

उत्तर— जी हाँ. अध्यक्ष/महापौर एवं पार्षद दोनों के लिए ''नोटा'' का प्रावधान किया गया है तथा नोटा हेतु प्रतीक (×) निर्धारित है.

प्रश्न— क्या अध्यक्ष/महापौर एवं पार्षद के लिए ई. व्ही. एम. का मतपत्र अलग-अलग रंग का होगा?

उत्तर— जी हाँ.

(क) पार्षद के लिए:—

(i) नगर परिषद् के मामले में:—नीला
(ii) नगरपालिका के परिषद् के मामलें में:—पीला
(iii) नगर पालिक निगम के मामले में:—गुलाबी
(ख) महापौर एवं अध्यक्ष के लिए:—सफेद

प्रश्न— मतदान केन्द्रों पर मतदाता के लिए क्या सुविधा रहेगी?

उत्तर— मतदान केन्द्र पर छाया, पानी की व्यवस्था के साथ-साथ मतदान दल द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया में आपको मदद दी जावेगी.

प्रश्न— क्या निःशक्त मतदाताओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था होती है?

उत्तर— (i) यथा संभव, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर रैम्प उपलब्ध कराए जाएंगे.

(ii) प्रत्येक बी.यू. पर ब्रेल लिपि में क्रमांक दर्ज है.

(iii) यदि पीठासीन अधिकारी इस बात स संतुष्ट हो जाता है कि अँधेपन या अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलेखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी, मतदाता को अपनी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान प्रकोष्ठ में ले जाने की अनुमति देगा.

प्रश्न— यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन के कार्य (निर्वाचन कर्तव्य आरूढ़) में लगा है तो भी क्या वह मत दे सकता है.?

उत्तर— जी. हां. इसके लिए प्ररूप 19 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन किया जा सकता है.

प्रश्न— निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र किस रंग का होता है?

उत्तर— निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र सफेद रंग का होता है तथा इसमें अभ्यर्थी का नाम और दलीय संबद्धता होती है. इस मतपत्र में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है.

प्रश्न— निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के संबंध में क्या सावधानियां होनी चाहिए?

उत्तर— निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए घोषणा-पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए तथा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर प्रत्येक पद के लिए आपको एक अभ्यर्थी के समक्ष ही निशान लगाना चाहिए. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर आपको अपना नाम या हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए तथा निर्धारित लिफाफे में ही इसे रखकर मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व तक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा देना चाहिए.

प्रश्न— यदि किसी मतदाता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मत दे दिया गया है, तो उसे क्या करना चाहिए?

उत्तर— यदि मतदान केन्द्र पर आपको यह बताया जाये कि आपके स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही मत डाला जा चुका है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई पूछताछ में आपके द्वारा संतुष्ट किए जाने की स्थिति में आप निविदत्त मतपत्र के माध्यम से अपना मत अंकित कर सकेंगे, जो लिफाफे में पीठासीन अधिकारी द्वारा सुरक्षित कर लिया जाएगा.

प्रश्न— मतदान प्रकोष्ठ में बी. यू. किस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी?

उत्तर— जो बी. यू. सीधे सी. यू. से जुड़ी होगी उस पर अध्यक्ष/महापौर का मतपत्र लगाया जाएगा तथा इस बी.यू. से जुड़ी हुई दूसरी बी.यू. पर पार्षद का मतपत्र लगाया जाएगा.

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

प्रश्न— ई. व्ही. एम. शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर— ई. व्ही. एम. का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है. यह इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित है. इसके दो मुख्य भाग होते हैं, पहला नियंत्रण यूनिट (जिसे सी. यू. भी कहते हैं) तथा दूसरा बैलेट यूनिट (जिसे बी. यू. भी कहते हैं.)

प्रश्न— म. प्र. में नगरीय निकाय चुनावों में मतदान मशीन (ई. व्ही. एम.) का क्या संयोजन होगा?

उत्तर— नगरीय निकाय के चुनाव में सामान्यत: एक कंट्रोल यूनिट के साथ दो बैलेट यूनिट जोड़ी जाएंगी जिसकी पहली महापौर/अध्यक्ष पद की होगी तथा दूसरी बैलेट यूनिट पार्षद पद हेतु होगी जिसे पहली बैलेट यूनिट से जोड़ा जाएगा.

प्रश्न— उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने पर क्या होगा?

उत्तर— एक कंट्रोल यूनिट से चार बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है. अत: 60 (जिसमें नोटा भी शामिल है) तक उम्मीदवारों का चुनाव एक ही कंट्रोल यूनिट से किया जा सकता है.

प्रश्न— इस मतदान मशीन की मुख्य विशेषताएं क्या है?

उत्तर— मतदान मशीन की मुख्य विशेषताओं में वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्र क्रमांक भरना. प्रत्येक दिये गए निर्देश का प्रदर्शन खण्ड में दिखना तथा डी.एम.एम. (डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल) है.

प्रश्न— डी. एम. एम. क्या है एवं उसका उपयोग किस तरह होता है?

उत्तर— यह एक समानांतर मतदान रिकार्ड रखने की व्यवस्था है. कंट्रोल यूनिट तथा डी.एम.एम. से किसी भी वार्ड विशेष के विशिष्ट मतदान केन्द्र की जानकारी सुरक्षित रखी जा सकती है. मतदान के पश्चात् डी.एम.एम. निकालकर सुरक्षित तरीके से सील कर रख दिया जाता है. इस प्रकार मशीन अगले चरणों के चुनाव कराने हेतु उपलब्ध रहती है.

प्रश्न— डी. एम. एम. के डाटा को दूसरी कंट्रोल यूनिट में किस प्रकार पढ़ा जा सकता है?

उत्तर— डी. एम. एम. को किसी भी कंट्रोल यूनिट में लगाने पर मेमोरी चेंज्ड की सूचना प्रदर्शित होगी. रिजल्ट-II बटन को दबाए रखने पर ''बैक-2'' प्रदर्शित होगा तथा मशीन डी. एम. एम. के डाटा को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देगी.

प्रश्न— पी. एस. टी., पी. ई. टी. एवं पी. डी. टी. का क्या मतलब होता है?

उत्तर— पी. एस. टी अर्थात् मतदान प्रारंभ होने का समय.
पी. ई. टी. अर्थात् मतदान समाप्त होने का समय.
पी. डी. टी. अर्थात् मतदान की तारीख.

प्रश्न— ई. व्ही. एम. मशीन में कितने मतदाता मत अंकित कर सकते हैं?

उत्तर— 2000 तक

प्रश्न— मतदान मशीन से परिणाम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है.

उत्तर— क्लोज बटन मतदान समाप्ति पर दबाकर रिजल्ट-I बटन दबाया जाता है, मशीन कंट्रोल यूनिट में स्थित डाटा पढ़ना शुरू कर देती है. रिजल्ट-II बटन दबाने से डी. एम. एम. में उपलब्ध डाटा पढ़ा जा सकता है.

प्रश्न— अभ्यर्थी कहाँ-कहाँ उपस्थित रह सकते हैं?

उत्तर— अभ्यर्थी / मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि प्रथम स्तर के परीक्षण (एफ.एल.सी.) के दौरान उपस्थित रह सकते हैं. इसके अलावा मशीनों को मतदान केन्द्र के लिए तैयार करते समय, मतदान के दिन दिखावटी मतदान (मॉक पोल), मतगणना के समय, डी. एम. एम. को सील करते समय एवं स्ट्रांग रूम, जहाँ पर समस्त मशीनें रखने एवं निकाले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं.

प्रश्न— ई. वी. एम. में कितने बैलेट यूनिट लगा सकते हैं.

उत्तर— सामान्यतः दो. पहला महापौर / अध्यक्ष पद का तथा दूसरा पार्षद पद हेतु.

प्रश्न— क्या डी. एम. एम. बदले जाने पर मशीन सूचना देगी?

उत्तर— हाँ, यह प्रदर्शन खंड में मेमोरी चेंज के रूप में प्रदर्शित होगा.

प्रश्न— कितनी सीलों पर हम हस्ताक्षर कर सकते हैं एवं कब-कब?

उत्तर— बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट की रिटर्निंग अधिकारी की सील पर दिखावटी मतदान के पश्चात् ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रीप सील तथा समस्त एड्रेस टैग पर हस्ताक्षर कर सकते हैं.

प्रश्न— दिखावटी मतदान कितने घण्टे पहले शुरू होगा?

उत्तर— सामान्यतः मतदान से 1 घण्टा पूर्व.

प्रश्न— मतदाता पहचान पत्र कौन-कौन से हैं?

उत्तर— वोटर आई. डी. कार्ड, फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं आयोग द्वारा निर्धारित अन्य पहचान-पत्रों की सूची.

प्रश्न— मतदाता यदि 1 ही वोट देना चाहे तो क्या होगा?

उत्तर— दे सकता है, लेकिन मशीन में वह रिजल्ट दिखाते समय अंडर वोट के रूप में दर्ज होगा.

प्रश्न— इनवेलिड ऑपरेशन का क्या मतलब है?

उत्तर— जब तय प्रक्रिया का पालन न किया गया हो, जैसे सी. आर. सी. का पालन, क्लोज का बटन दबाने के पश्चात् मत जारी करना इत्यादि.

प्रश्न— अनफिनिश्ड वोटर का क्या मतलब है?

उत्तर— सामान्यतया प्रत्येक मतदाता से दोनों बैलेट यूनिटों में प्रत्येक में कोई एक बटन दबाने की उम्मीद की जाती है, परन्तु यदि कोई मतदाता सिर्फ किसी भी एक बैलेट यूनिट पर अपना मत अंकित कर बाहर चला जाता है, तो ऐसे समस्त मतदाता अनफिनिश्ड वोटर के रूप में दर्ज होंगे. इसके अलावा, कंट्रोल यूनिट का लाल बटन जलता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मशीन को ऑफ करके ऑन करेगा.

प्रश्न— कैसे पता चलेगा कि मतदाता ने दोनों वोट डाल दिये हैं?

उत्तर— एक लम्बी बीप बजेगी.

शाकेमुभो—685—उसरानिआ—15-3-19—3,000.

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2019